न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—81/2006(जीसीएमएस नं. 2006/00004)

01. सीतासहाय पुत्र श्री कृष्णसहाय पारीक दत्तक पुत्र गंगासहाय बोहरा **(मृतक दोराने अपील)**

1/1. श्रीमती कौशल कुमारी पारीक धर्मपत्नी स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक **(मृतक दोराने अपील)**

1/2. सच्चिदानन्द पारीक पुत्र स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक **(मृतक दोराने अपील)**

1/2/1. श्रीमती अरूणा धर्मपत्नी स्व. श्री सच्चिदानन्द पारीक,

1/2/2. नेहा पुत्री स्व. श्री सच्चिदानन्द पारीक,

1/2/3. मीनू पुत्री स्व. श्री सच्चिदानन्द पारीक समस्त जाति पारीक निवासी टी—2/101 सिडको कॉलोनी, तारापुर रोड़, बोईसर जिला पालघर महाराष्ट्र।

1/3. रामसहाय पारीक पुत्र स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 1947 नला नीलगरान, रामगंज बाजार जयपुर हालवासी एल—7ए महारानी कॉलेज स्टॉफ क्वाटर्स, डिग्गी हाउस के पास टोंक रोड़, जयपुर।

1/4. शंकरसहाय पारीक पुत्र स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 1947 नला नीलगरान, रामगंज बाजार जयपुर हालवासी ए—309 राधाकृष्ण एनक्लेव शिक्षा विहार, रामनगरिया रोड़, जगतपुरा जयपुर।

1/5. श्रीमती मंजू पारीक पुत्री स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक धर्मपत्नी श्री देवकीनन्दन पारीक जाति पारीक निवासी 1833 पारीक सदन, जयलाल मुंशी का रास्ता, पुरानी बस्ती जयपुर।

1/6. श्रीमती कुसुमलता पारीक पुत्री स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक धर्मपत्नी स्व. श्री सुरेश पारीक जाति पारीक निवासी पुरोहित जी की बगीची पोलोविक्ट्री जयपुर।

1/7. श्रीमती प्रेमलता पारीक पुत्री स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक धर्मपत्नी श्री रामप्रकाश पारीक निवासी मकान नम्बर 1947 नला नीलगरान, रामगंज बाजार जयपुर तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान।

1/8. श्रीमती चन्द्रकला पारीक पुत्री स्व. श्री सीतासहाय जी पारीक धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र पारीक निवासी पुरोहित जी का कटला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये श्रीमान् सचिव महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण तहसील व जिला जयपुर।

02. प्राधिकृत अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण) एवं उपायुक्त जोन ए—2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

03. तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
04. खुदा वादी सोनार हाऊसिंग कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर।
05. नन्दा पुत्र श्री भौंरीलाल, जाति मीना निवासी बेरून, गंगापोल बदनपुरा तहसील व जिला जयपुर **(मृतक)**
06. (5/1) छोटू पुत्र नन्दा कथित दत्तक पुत्र रामनाथ, जाति मीना निवासी निवासी संधीजी की नसियों के सामने, गंगापोल जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
07. बाबू पुत्र श्री झूंथा,
08. मन्नी पुत्र झूंथा, समस्त जातियान मीना, निवासी बेरून गंगापोल, बदनपुरा तहसील व जिला जयपुर।
09. तहसीलदार जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

10. श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी स्व. श्री हनुमान सहाय।
11. रामनरेश पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय,
12. राजेश सहाय पुत्र श्री हनुमान सहाय समस्त निवासीयान नीलगरान का रास्ता रामगंज बाजार जयपुर।
13. ~~श्रीमती उषा देवी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय धर्मपत्नी श्री अशोक~~ कुमार पारीक निवासी 3—102, जवाहर नगर जयपुर।
14. प्रहलाद सहाय पुत्र श्री कृष्ण सहाय पारीक निवासी नीलगरान का रास्ता रामगंज बाजार, जयपुर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री मनीष पारीक, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री सुबोध जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 04.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण) एवं उपायुक्त जोन ए–2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.1999 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 14 को बिना नौटिस दिये ही एवं बिना सबूत साक्ष्य लिये ही एवं बिना सुनवाई किये ही अधीलाधीन निर्णय सादिर किया है, वह निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजीयातं अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के बुजुर्गो की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है और इनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी व तरतीब रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 अथवा इनके बुजुगों का इस आराजीयात से न तो कोई सम्बन्ध व

P.T.O.

सत्यापित अनुवाद जयपुर

ताल्लुक ही थे और न ही कोई हक अधिकार ही हांसिल थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये ही श्री रामनाथ, झूँथा, ग्यारसा, नन्दा पिसरान भौंरीलाल को ही पक्षकार बनाते हुये जो कार्यवाही की है व निर्णय सादिर किया है वह निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादी अथवा तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 खुदा वादी सोनार हाऊसिंग कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जयपुर अथवा किसी अन्य समिति के हक में बेचान बाबत किसी भी प्रकार का अनुबंध पत्र या प्रतिज्ञा पत्र तहरीर व तकमील नही किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 28, 29, 31, 32, 33, 132, 133, 134 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90ख के तहत गैर मुमकिन आबादी दर्ज करते हुये राज्यहित में पुर्नगृहित करने के जो आदेश दिये है वे आदेश न्यायोचित नही होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त खसरा नम्बर 28, 29, 31, 32, 33, 132, 133, 134 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा बाबत अपीलार्थी सीतासहाय एवं हनुमान सहाय, प्रहलाद सहाय ने वाद इस्तकरारहक एवं दखलयाबी दफा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रामनाथ, झूथा, ग्यारसा, नन्दा पुत्रान भौरीलाल जाति मीना निवासी बदनपुरा के विरूद्ध दिनांक 02.07.1964 को न्यायालय उप जिलाधीश जयपुर जिला जयपुर की अदालत में प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी रामनाथ, झूँथा ग्यारसा, नन्दा पिसरान भौंरीलाल जाति मीना के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया गया कि वे विवादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न करें एवं न ही आराजी मुतनाजा का बेचान ही करें और न ही किसी तरह का कोई निर्माण ही करें जो आज्ञा अस्थाई निषेधाज्ञा ताफ़ैसला वाद अपस्लूट कर दी गई, तथा अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद अस्थाई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर प्रार्थी–वादी की ओर से आदेश–41 नियम 1 जाप्ता दीवानी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तहत विवादग्रस्त आराजीयात पर सन् 1975 में तहसीलदार जयपुर को मुकर्रर करते हुये सम्पत्ति को कुड़क करली गई जिसकी अपील अप्रार्थीगण की ओर से नही की गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.1999 का ईल्म अपीलार्थी को पूर्व में नही था बल्कि दिनांक 10.11.2002 को जब अपीलान्ट अपनी आराजीयात में स्थित छतरियों की देख–रेख करने गया तो रेस्पोडेन्ट छोटू ने कहा कि यह जमीन हमारी हो चुकी है और जयपुर विकास प्राधिकरण से यह जमीन अपने नाम करवा ली है अब इस जमीन से तुम्हारा कोई लेना–देना व ताल्लुक नही है, तुम यहाँ से चले जाओं नही तो तुम्हे जान से मार डालूंगा जिस पर अपीलार्थी दिनांक 11.11.2002 को अपने वकील साहब से मिला और वकील साहब को समस्त

जयपुर

बातें बताई तो वकील साहब ने कहा कि समस्त कार्यवाही मिलीभगत से की गई है। तुम जयपुर विकास प्राधिकरण में जाकर सब बातों की तहकीकात करों और नकल लेकर अपील करों जिस पर अपीलार्थी दिनांक 11.11.2002 को ही जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के सम्बन्धित जोन में अपने बच्चे को साथ लेकर गया तो बहुत मुश्किल से बताया कि तुम्हारी जमीन पर धारा 90बी की कार्यवाही हो चुकी है, कल नकल का प्रार्थना पत्र देकर नकल लेकर अपील करों। जिस पर अपीलार्थी अपने घर चला गया तथा दिनांक 12.11.2002 को नकल के लिये आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलार्थी को दिनांक 08.05.2003 को सांयकाल 5 बजे दी व नकल लेकर अपीलार्थी अपने घर चला गया व नकल को पढ़कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ईल्म हुआ। इस प्रकार आदेश दिनांक 26.11.1999 को ईल्म अपीलार्थी को नकलादि मिलने एवं उसे पढने से हुआ। ऐसी स्थिति में दिनांक 26.11.1999 से दिनांक 26.05.2003 की समयावधि को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित समस्त तथ्यों के मद्देनजर कण्डोन किया जावें एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण) एवं उपायुक्त जोन ए–2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.1999 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें जिससे अपीलार्थी को उचित न्याय व राहत मिल सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 ने कथन किया है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है जिसकी पुष्टि इस बात से ही होती है कि उक्त निर्णय की पालना में जब शान्ती कॉलोनी का नियमन कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित हुआ तब अपीलान्ट ने एक पत्र दिनांक 30.03.2000 को जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखकर निर्णय दिनांक 26.11.1999 की पालना में समिति शान्ती कॉलोनी का कैम्प 30.03.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया था जिससे बखुबी साबित है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से ही रही है उसके बावजूद भी अपीलान्ट ने मनगढन्त तरीके से 90बी के आदेश दिनांक 26.11.1999 को मियाद में लेने हेतु झूंठे एवं मनगढंत तथ्य अंकित किया है। इस कारण अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में मनगंढन्त तथ्य अंकित कर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रकरण के सभी तथ्यों को छिपाते हुये झूँठे तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है जबकि उक्त भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष एक नियमित वाद सुनवानी सीतासहाय बनाम रामनाथ प्रकरण संख्या 115/97 विचाराधीन था जो दिनांक 02.07.2002 को अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित हो चुका है। उक्त वाद में भी उक्त निर्णय दिनांक 26.11.1999 को पूर्णतः हवाला है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुये भी अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक

स्थानीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

26.11.1999 की बखुबी जानकारी रही है। इसके बजावूद भी अपीलान्ट ने झूँठे तथ्य प्रस्तुत कर गलत शपथ पत्र पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस कारण से भी अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 28, 29, 31, 32, 33, 132, 133, 134 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रामनाथ, झूँथा, ग्यारसा, नन्दा पिसरान भौरीलाल कौम मीना थे जिस भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा अपीलार्थी द्वारा बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बरान 28, 29, 31, 32, 33, 132, 133, 134 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार सामनाथ, झूँथा, ग्यारसा, नन्दा पिसरान भौरीलाल कौम मीना थे तथा नायब तहसीलदार जोन ए–2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के उक्त भूमि बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.1999 के अनुसार उक्त भूमि को अकृषि के प्रयोजन के काम में लिये जाने के कारण उनके द्वारा भूमि के खातेदारी अधिकारो को पर्यवसान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आराजी के खातेदारान को नोटिस इत्यादि जारी करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.1999 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपने हक व अधिकार होने बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये है जिससे स्पष्ट है उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट की कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने के कारण अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.1999 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील के माध्यम से किसी प्रकार के उज्रात करने का अपीलान्ट को कानूनन कोई अधिकार भी नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भूमि विवादग्रस्त में अपीलान्ट की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई नही होने से एवं असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

4/7/23
संभागीय आयुक्त
जयपुर